न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद-पत्र संख्या :-70/2018 | दायर दिनांकः 15.06.2018

RCMS NO:- 2018/00096

पीठासीन अधिकारी :-श्योराम (आर.ए.एस.)

1. रामचन्द्र पुत्र मूल्या जाति बैरवा निवासी ग्राम खानिका तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. रामफूल पुत्र मूल्या जाति बैरवा निवासी ग्राम खानिका तहसील नैनवां जिला बून्दी।

—वादीगण—

बनाम

1. रामनिवास पुत्र गंगाराम जाति बैरवा निवासी ग्राम खानिका तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. उदया पुत्र रामदेव जाति बैरवा निवासी ग्राम खानिका तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. रामप्रसाद पुत्र रामदेव जाति बैरवा निवासी ग्राम खानिका तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. मानकीपुत्री रामदेव जाति बैरवा हाल पत्नि केसरा निवासी ग्राम अरण्या तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. खानी पुत्री रामदेव पत्नि मांगीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम देवरिया पलाई तहसील उनियारा जिला टोंक।
6. भंवरलाल पुत्र करणाजाति गुर्जर निवासी ग्राम खानिका तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. बाबूलाल पुत्र करणाजाति गुर्जर निवासी ग्राम खानिका तहसील नैनवां जिला बून्दी।
8. कन्हैयालालपुत्र करणाजाति गुर्जर निवासी ग्राम खानिका तहसील नैनवां जिला बून्दी।
9. प्रधानपुत्र बाबूलालजाति गुर्जर निवासी ग्राम खानिका तहसील नैनवां जिला बून्दी।
10. सरदार पुत्र भंवरलालजाति गुर्जर निवासी ग्राम खानिका तहसील नैनवां जिला बून्दी।
11. नीमलाल पुत्र भंवरलालजाति गुर्जर निवासी ग्राम खानिका तहसील नैनवां जिला बून्दी।
12. भू-स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

—प्रतिवादीगण—

वाद पत्रः— अंतर्गत धारा 251 ए एंव 188 आर.टी एक्ट

उपस्थिति—

वादीगण एवं प्रत्यार्थीगण

निर्णय दिनांक 01.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम देवपुरा उर्फ खानिका पटवार मण्डल नोडसा तहसील नैनवां में भूमि खाता संख्या 166 की खसरा संख्या 179 रकबा 21 बीघा 05 बिस्वा भूमि वादीगण के हिस्सा 1/2 आधिपत्य एवं खातेदारी कृषि भूमि है। यह कि वादीगण की भूमि आने आने जाने के लिए जिस रास्ते को वर्षों से काम में लेते चले आ रहे है। उस रास्ते को वाद पत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया गया है। यह कि प्रतिवादीगण 6 लगायत 11 ने गत सप्ताह से वर्णित रास्ते से वादीगण को निकलने नही दिया तथा रास्ते को फाडकर ... आमदा है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा वादीगण के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य ... नही है। इसलिए वादीगण को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज ... दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:22:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

वादीगण नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी, नक्शा परिशिष्ट अ, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

प्रतिवादीगण 6 लगायत 11 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण प्रतिवादीगण की वर्णित कृषि भूमि पर अनाधिकृत एवं अवैधानिक रूप से कृषि भूमि के पूर्वी साईड की मेर में दक्षिण से उत्तर की ओर होकर उपने खाते के खेत खसरा संख्या 179 को छोडते हुये उसके पश्चिमी साईड में नया रास्ता कायम करना चाहते है। यह कि वादीगण ने खसरा संख्या 60, 64, 165, 176, 177, 178, 182 के खातेदारों को पक्षकार भी नहीं बनाया है इसलिये वादीगण का वाद खारिज फरमाये जाने योग्य है।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार खसरा संख्या 179 तक पहुँचने के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त कोई अन्य सीधा एवं सुगम रास्ता का विकल्प नहीं है। मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि उक्त खातेदार पूर्व में खसरा संख्या 178 की पूर्वी मेड के सहारे सहारे होकर आते जाते थे जो रिकॉर्ड अनुसार प्रत्यार्थीगणों की खातेदारी भूमि है। भूमि खातेदारी होने के कारण प्रत्यार्थीगणों द्वारा वर्तमान में रास्ता बन्द कर दिया है। जो मुताबिक रिकॉर्ड नक्शा में रास्ता दर्ज नहीं है। खसरा संख्या 178 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर लगभग 15 फीट गहरा गै0मु0 रास्ता मौके पर स्थित है। वादीगण द्वारा चाहे गए रास्ते में भूमि खसरा संख्या 178 व 179 की भूमि उपयोग में आयेगी। यह कि खसरा संख्या 178 में से रकबा 132 गठ्ठा • 1 गठ्ठा = 132 वर्ग गठ्ठा= रकबा 5721 वर्गफीट तथा खसरा संख्या 179 में से रकबा 132 गठ्ठा • 1 गठ्ठा = 132 वर्ग गठ्ठा= रकबा 5721 वर्गफीटभूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल रकबा 11442 वर्गफीट अर्थात 00–13 बीघा है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट मोडसा में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम देवपुरा उर्फ खानिका पटवार मण्डल मोडसा तहसील नैनवां में भूमि खाता संख्या 166 की खसरा संख्या 179 पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 178 में से रकबा 132 गठ्ठा • 1 गठ्ठा = 132 वर्ग गठ्ठा= रकबा 5721 वर्गफीट तथा खसरा संख्या 179 में से रकबा 132 गठ्ठा • 1 गठ्ठा = 132 वर्ग गठ्ठा= रकबा 5721 वर्गफीट भूमि रास्ता के रूप में दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल रकबा 11442 वर्गफीट अर्थात 00–13 बीघा है।जिसे नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में लाल डोटेड लाइन से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 01.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बूंदी) [seal]

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:22:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner